PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः–771/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 27/06/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जुगासू से बुरूवा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (**FP/UK/ROAD/13419/2015**)

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या– 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 22–03–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 06–11–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके उपरान्त अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति लगाई गयी है। कि एन0पी0वी0 की बढी दरो पर अवशेष धनराशि रू0 124659.00 (एक लाख चौबीस हजार छः सौ उन्साठ मात्र) जमा की जानी है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक– 3495/12–1(2) दिनांक 25–04–2023 द्वारा अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट इस खण्ड को प्रेषित किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त डिमांड नोट को सत्यापित करने की कृपा करें, ताकि एन0पी0वी की अवशेष धनराशि जमा की जा सके।

27/06/23

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग को उनके पत्रांक– 3495/12–1(2) दिनांक 25–04–2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3495 / 12-1(2-1) दिनांक 25/04/2023::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
ऊखीमठ।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू से बुरुवा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/13419/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या–5–3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0पी0सी0/06/254/2016/एफ0सी0/1335 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। **(प्रति संलग्न है)**

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.1 (10%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	0.358
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	3,59,865.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	–2,35,206.00
7.	**वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	=	**1,24,659.00**

(3,59,865.00–2,35,206.00) एक लाख, चौबीस हजार, छः सौ उन्साठ मात्र की धनराशि कैंम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखितत शर्तो की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3495 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।